<u>कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)</u>

दिनांक: 31-01-2024

क्रमांक: 08

//<u>रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश</u>//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुझ स्नेहा जाखड़ आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा** द्वारा माह-फरवरी, 2024 में पड़ने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, तलाशी प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम	दिनांक
01	रेखा तिवारी	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, दौसा	04.02.2024
02	प्रीति सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 लालसोट जिला- दौसा	10.02.2024 11.02.2024
03	निधि शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला-दौसा	14.02.2024 **स्थानीय अवकाश** 18.02.2024
04	मनोज कुमार	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला-दौसा	24.02.2024 25.02.2024

निर्देशः-01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02-विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करे।

03-अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04-यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05-नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे **किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।**

(स्नेहा जाखड़)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner